

R 3822-PBZ-16

(77)

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/ 2016 जिला—ग्वालियर

- 1— ज्ञान सिंह पुत्र श्री मेहरवान सिंह रावत  
 2— सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तुलाराम किरार  
 भितरवार, जिला—ग्वालियर (म.प्र.)  
 — आवेदकगण

विरुद्ध

- 1— श्रीमती गीता पत्नी श्री वासुदेव शर्मा  
 2— श्रीमती बृजलता पत्नी श्री मनमोहन शर्मा  
 3— श्रीमती द्रोपती पत्नी श्री रामप्रकाश शर्मा  
 निवासीगण— ग्राम बनियानी तहसील नरवर,  
 जिला—शिवपुरी (म.प्र.)  
 4— श्रीमती ममता शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र शर्मा  
 निवासी— वार्ड क्रमांक 8 भितरवार,  
 जिला— ग्वालियर (म.प्र.)  
 5— राजावेटी बेवा कल्यान सिंह पुत्री लालाराम  
 6— सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्यान सिंह  
 7— महेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्यान सिंह  
 8— मुनेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्यान सिंह  
 निवासीगण— वार्ड क्रमांक 9 भितरवार,  
 जिला— ग्वालियर (म.प्र.)  
 9— दयावती पत्नी रतन सिंह किरार,  
 निवासी— वार्ड क्रमांक 10 भितरवार,  
 जिला— ग्वालियर (म.प्र.)  
 10— अर्जुन सिंह पुत्र श्री जनवेद सिंह किरार  
 11— रघुवीर सिंह पुत्र जनवेद सिंह किरार  
 निवासीगण— वार्ड क्रमांक 12 भितरवार,  
 जिला— ग्वालियर (म.प्र.)  
 12— मध्य प्रदेश शासन  
 — अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/2015-16 विविध में पारिल आदेश दिनांक 25.07.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।  
 माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आवारों पर

OK

R 3822-PB-2/16 २०१६

14.12.2016

आवेदकगण की ओर से यह पुनर्विद्या  
पत्रिका आवेदन का उपाय है। जिस विभाग में  
आधिकारी से प्रश्न उत्तरित नहीं हो सकता है।  
यह विवरणी प्रक्रिया न हो जाती है, उसका  
हमारा लाभ हो ~~नहीं~~ है। अतः यह  
विवरणी प्रक्रिया हो जाने से समाप्त  
की जाती है।

रामेश्वर  
आद्यता

अमृता

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथा पाँच-

सविनय प्रस्तुत है :-